



127

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण याचिका

अग-3721-PBE-16

तेजा आत्मज रावतजी जाट, आयु 76 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम बावलिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.)

— आवेदक/याचिकाकर्ता

विरुद्ध

- 1- कांतिलाल पिता भागीरथजी जाट, आयु 36 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम बावलिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.)
- 2- भागीरथ पिता रावतलजी जाट, आयु 65 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम बावलिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.)
- 3- दयाराम पिता रावतलजी जाट, आयु 73 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम बावलिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.)
- 4- सूरजमल पिता रावतजी जाट, आयु 95 वर्ष लगभग, धंधा वृद्धाकाल की वजह से कुछ नहीं, निवासी ग्राम बावलिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास (म.प्र.)

— अनावेदकगण

माननीय अनुविभागीय अधिकारी, बागली, जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 18/2014-15 अपील में पारित विवादित आदेश दिनांकित 23-08-2016 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959।

श्री आर. रमण मोदी आदि  
द्वारा उक्त केम पर  
प्रस्तुत।

21-10-16

R 3721-PBR/16 देवना

22-9-2017, आवेक की ओर से सूचना  
उपरोक्त कोई भी उपाख्यत नहीं।  
तीस का प्रकार लगाई गई, फिर  
भी कोई उपाख्यत नहीं। अंत,  
प्रमाण आइस पेंची में निरस्त  
किया जाता है।

दी

22/9/16

रिप

अध्यक्ष

[क. प. उ.]